सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 वैशाख, 1948 (श०)

संख्या - 236 राँची, मंगलवार, 19 मई, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

9 अक्टूबर, 2024

विषय:- केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् संचालित 2551 लघु आँगनबाड़ी केन्द्रों का सामान्य आँगनबाड़ी केन्द्रों में उत्क्रमण तथा तत् के प्रावधानों के अनुरूप संचालन की स्वीकृति।

ज्ञापांक -05/म0स0/आँ०के०उत्क्र०-472/2022-2529--राज्यान्तर्गत सम्प्रति 2,551 लघु आँगनबाड़ी केन्द्र संचालित है जिनके माध्यम से केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् प्रदाय 0-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ यथा (i) पूरक पोषाहार (ii) प्रतिरक्षीकरण (iii) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (iv) सन्दर्भ सेवाएँ (v) पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य जाँच की सेवाऐं उपलब्ध करायी जाती है। इन केन्द्रों के स्थापना की स्वीकृति विभागीय संकल्पांक-949, दिनांक-02.07.2009 द्वारा प्रदान की गई है।

2. सम्प्रति इन केन्द्रों का स्थापना एवं संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशांक-11/4/2021-CD-I (e-95706),दिनांक-01.08.2022 के मार्गनिर्देश तथा विभागीय संकल्पांक-2147, दिनांक-31.07.2023, अधिसूचनांक-2239, दिनांक-30.09.2023 के प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है।

3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यान्तर्गत संचालित लघु आँगनबाड़ी केन्द्रों के सामान्य आँगनबाड़ी केन्द्रों में उत्क्रमण की आवश्यकता के दृष्टिगत् विभाग से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे जिसके आलोक में वित्त विभाग, झारखण्ड की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त कर विभाग द्वारा इन 2,551 लघु आँगनबाड़ी केन्द्रों के सामान्य आँगनबाड़ी केन्द्रों में उत्क्रमण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को उपलब्ध कराया गया।

4. उपर्युक्त के आलोक में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यान्तर्गत कार्यशील 2,551 लघु आँगनबाड़ी केन्द्रों के सामान्य आँगनबाड़ी केन्द्रों में उत्क्रमण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

5. वर्णित परिप्रेक्ष्य में निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है-

i. राज्यान्तर्गत कार्यशील 2,551 लघु आँगनबाड़ी केन्द्रों के सामान्य आँगनबाड़ी केन्द्रों में उत्क्रमण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ये केन्द्र अपने वर्त्तमान की अवस्थिति यथावत रखेंगे ;

ii. उत्क्रमण फलस्वरूप:-

a. इन केन्द्रों के लघु आँगनबाड़ी सेविकाएँ आँगनबाड़ी सेविका के नाम से चिन्हित होंगी एवं इन्हें केन्द्र प्रायोजित आँगनबाड़ी सेवाएँ अधीन प्रदाय मानदेय (केन्द्रांश एवं राज्यांश के 60:40 अनुपात) रू०-3,500/- प्रतिमाह के स्थान पर रू०-4,500/- प्रतिमाह भूगतेय होगा। तथापि इन कर्मियों को प्रदाय कुल मानदेय (मानदेय राज्य चालित अतिरिक्त मानदेय सहित) रू०-9,500/- प्रतिमाह अथवा समय के साथ वार्षिक वृद्धि फलस्वरूप वर्द्धित तदेन प्रभावी मानदेय तथा निर्धारित सामूहिक बीमा भूगतेय होगा ;

b. इण् इन केन्द्रों में प्रत्येक केन्द्र एक आँगनबाड़ी सहायिका का चयन किया जायेगा एवं सामान्य आँगनबाड़ी केन्द्रों के आंगनबाड़ी सहायिका के अनुरूप निर्धारित मानदेय रू०-2,250/- तथा अन्य सेवा सुविधाएँ यथा-प्रतिवर्ष प्रति इकाई रू०-500/- की दर पर दो सेट पोशाक, वार्षिक मानदेय वृद्धिबीमा इत्यादि उपलब्ध कराया जायेगा। तथापि इन कर्मियों को प्रदाय कुल मानदेय (मानदेय राज्य चालित अतिरिक्त मानदेय सहित) रू०-4,750/- प्रतिमाह अथवा समय के साथ वार्षिक वृद्धि फलस्वरूप वर्द्धित तदेन प्रभावी मानदेय तथा निर्धारित समूहिक बीमा भूगतेय होगा ;

c. बण् इन केन्द्रों में रू०-750/- के स्थान पर रू०-1,500/- प्रति इकाई दर पर प्रतिवर्ष मेडिसीन किट्स उपलब्ध कराया जायेगा ;

d. कण् इन केन्द्रों में रू०-7,000/- के स्थान पर रू०-10,000/- प्रति पाँच वर्ष के व्यय दर उपकरण/उपस्कर उपलब्ध कराया जायेगा ;

e. मण् इन केन्द्रों में प्रशासनिक व्यय वहन हेतु रू०-1,000/- के स्थान पर रू०-2,000/- प्रति केन्द्र उपलब्ध कराया जायेगा ;

f. इन केन्द्रों के स्थापना संबंधी अन्य प्रावधान यथा- शाला पूर्व शिक्षा किट्स की आपूर्त्ति, भवन किराया व्यय इत्यादि सहित अवसंरचनाओं तथा संसाधनों संबंधी अन्य कार्य/व्यय यथावत रहेंगे एवं एतद् संबंधी समय-समय पर निर्गत राज्यादेश प्रभावी होंगे।

iii. इन केन्द्रों के संचालन के तहत् -

क) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों अधीन विभिन्न मदों पर इसके प्रावधानित दरों आधारित व्यय केन्द्रांश एवं राज्यांश के 60: 40 के व्यय दर पर किया जायेगा ; तथा

ख) राज्य प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों अधीन विभिन्न मदों पर इसके प्रावधानित दरों आधारित शत्-प्रतिशत् राज्य मद पर किया जायेगा।

iv. विचारित केन्द्रों के स्थापना एवं संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशांक-11/4/2021-CD-I (e-95706),दिनांक-01.08.2022 के मार्गनिर्देश, विभागीय संकल्पांक-2147, दिनांक-31.07.2023, अधिसूचनांक-2239, दिनांक-30.09.2023 के प्रावधान तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत राज्यादेश/दिशा-निर्देश अनुपालनीय होगा।

6. एतद् संबंधी प्रावधान इसके संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे। इस संबंध में निर्गत पूर्व के राज्यादेश इस हद तक संशोधित होंगे।

7. उपर्युक्त संबंधी व्यय हेतु राशि की निकासी केन्द्रांश एवं राज्यांश के निम्नवत् शीर्षों-

(क) जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना- बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष -796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष- 51/समेकित बाल विकास योजना ;

(ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना- बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-102-बाल कल्याण, उपशीर्ष- 51/समेकित बाल विकास योजना ;-के उपयुक्त अनुगामी शीर्षों के तहत् किया जायेगा।

8. उपर्युक्त के दृष्टिगत् राजकोष पर अतिरिक्त वित्तीय भार निम्नवत् होगा

(राशि लाख रू० में)

मद	आकलित अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार	प्रत्येक पाँचवें वर्ष में अतिरिक्त व्यय भार का आकलन	प्रत्येक पाँच वर्षों में अतिरिक्त व्यय भार का आकलन
1	*2*	*3*	*4=col.2*5+col.3*
केन्द्रांश	623-719	45-918	3164-513
राज्यांश	887-748	30-612	4469-352

9. उपर्युक्त योजना के तहत् चालू वित्तीय वर्ष2024-25 में केन्द्रांश में कुल रू०-24018.00 लाख एवं राज्यांश में रू०-16012.00 लाख का बजटीय उपबंध प्राप्त है। उपर्युक्त मामले के दृष्टिगत् अतिरिक्त निधि की आवश्यकता पर आगामी अनुपूरक के माध्यम से बजटीय उपबंध प्राप्त किया जायेगा।

10. एतद् पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-08.10.2024 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या-09 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 236 - 50